आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपील वाद सं0–59 / 2020

श्री ओम प्रकाश चौबे

बनाम

राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश

अनुसूची 14–फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
18.01.2023	माननीय उच्च न्यायालय पटना के समादेशवाद संख्या–**12989 / 2015** में दिनांक–**05.01.2016** को पारित आदेश के आलोक में **श्री ओम प्रकाश चौबे** द्वारा यह सेवा अपील दायर की गई है। 2.अपीलकर्त्ता द्वारा समर्पित अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह मामला श्री **चौबे** के विरूद्ध समाहरणालय, **पूर्वी चम्पारण** (जिला पंचायत कार्यालय) के आदेश ज्ञापांक–**653** दिनांक–**03.07. 2015**द्वारा उनके शत–प्रतिशतपेंशन कटौती, जीवन पर्यन्त रोकने का दंड संसूचित करते हुए गबन की गई सरकारी राशि की वसूली हेतु विधि सम्मत कार्रवाई के आदेश से संबंधित है। 3. उल्लेखनीय है कि अपीलकर्त्ता द्वारा जिला पदाधिकारी द्वारा संसूचित दंड के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में समादेशवाद संख्या–12989 / 2015 ओम प्रकाश चौबे बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–05.01.2016 को पारित आदेश में याचिकाकर्त्ता को अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील हेतु निदेशित किया गया। उक्त आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है– ''In view of the above, the writ application is disposed of with liberty to the petitioner to take remedy of appeal available under law. In case, if such appeal is filed, the delay in filing the appeal would be sympathetically condoned, as the petitioner was pursuing his remedy before this Court.'' 4. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में श्री ओम प्रकाश चौबे द्वारा दिनांक–13.03.2020 को	

WEB COPY NOT OFFICIAL

इस प्राधिकार के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

सम्पूर्ण तथ्यों के विवेचन के पश्चात् यह पाया गया कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 25 में प्रावधान है कि

''इस भाग के अधीन की जानेवाली कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि वह अपील में अन्तर्ग्रस्त आदेश की प्रति अपीलार्थी को दे दिये जाने की तिथि से पैंतालीस दिनों के अन्दर न की गयी हो।''

उक्त नियम के तहत अपील हेतु परिसीमा काल 45 दिनों की ही निर्धारित है। उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण किये जाने का प्रावधान नहीं है।

5. प्रस्तुत मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–05.01.2016 को पारित आदेश में श्री चौबे के अपील अभ्यावेदन समर्पित किए जाने में विलंब को सहानुभूतिपूर्वक क्षांत किए जाने का निदेश दिया गया था, परन्तु श्री चौबे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के भी चार वर्ष पश्चात् दिनांक–13.03.2020 को इस न्यायालय के समक्ष अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

6.उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि 45 दिनों के स्थान पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी चार वर्षों के विलंब से अपील अभ्यावेदन समर्पित किया जाना श्री चौबे की अपील के प्रति अगंभीरता का परिचायक है।

अतएव इस अपीलवाद के विषय वस्तु के गुणावगुण पर विचार किए बिना श्री ओम प्रकाश चौबे, सेवानिवृत पंचायत सचिव के अपील को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त आयुक्त

WEB COPY NOT OFFICIAL